FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0087 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/04/2025 15:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 05/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:10 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/04/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/04/2025 15:54:42 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 436 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** VIVEKANAND SAMUDAYIK BHAVAN,KARALYA SWASTHYA NIRIKSHK, SECTOR 11,GOVERDHAN VILAS,, NAGAR NIGAM UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ISHAK MOHMMAD

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VAFATI KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	47, KHAIRADIWARA,, MUKHRAJI CHAOK KE PASS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	47, KHAIRADIWARA,, MUKHRAJI CHAOK KE PASS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KAMALESH CHANAL		पिता:MITHULAL	1. 586,SHASTRI NAGAR,KHEMPURA,UDAIPUR, RAJASTHAN,INDIA
2	ANIL KUMAR SHRIMAL		पिता:RAMPAL	1. 1182,SECTOR NO.05,,AMBEDKAR COLONY,S.S. COCHING CENTAR KE PASS,HIRANMAGARI,HIRANMA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद सफाई कर्मचारी, नगर निगम, जिला उदयपुर के जून 2024 में हाथ में चोट लगने पर उसकी स्थिति का फायदा उठाने के इरादे से आरोपीगण श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य जमादार व श्री अनिल श्रीमाल जमादार नगर निगम उदयपुर ने आपस में मिलकर षडयंत्र रचकर परिवादी से अवैध लाभ प्राप्त करने के आपराधिक दुराशय से परिवादी को दो महिने तक फावडे से नाली सफाई के काम पर नहीं लगाकर परिवादी को कचरा स्टेण्ड निगरानी के काम पर लगा कर ड्यूटी में सहुलियत दी गई। जिसके एवज में आरोपी श्री अनिल श्रीमाल जमादार द्वारा आरोपी श्री कमलेश के लिये रिश्वत राशि की मांग करने पर परिवादी ने ब्यूरो में शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान दिनांक 03.04.25 को परिवादी द्वारा आरोपी अनिल जमादार से वार्ता कर कहा की कि 'क्या परेशानी पर परेशानी डलवा रहे हो' जिस पर आरोपी अनिल श्रीमाल परिवादी से अलग अलग समय पर कहता है कि "मेरे को क्या पता वो दे, दुआन नकी करो आपका" "मेरी बात सुन, मेरी गलती ये हुई के, मैंने आपकी बात करवायी थी बस ये मेरी गलती हुई थी बस, बाकी उस टाईम जो होता वो हो जाता" "तुम्हारा काम निकाला तो मांग तांग ही हुई ना वो तो, क्यों मांग तांग नी हुई, फ्री के थोडी ना मांग रहे हैं आपसे कोई" जो आरोपी अनिल श्रीमाल स्वास्थ्य जमादार का आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य जमादार के साथ परिवादी के कचरा स्टेण्ड पर निगरानी ड्यूटी के बदले में अवैध लाभ प्राप्त करने के षडयंत्र में शामील होना और परिवादी को आरोपी श्री कमलेश को रिश्वत राशि देने के लिये दुष्प्रेरण की पुष्टि करता हैं। जिसके अनुसरण में आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य जमादार द्वारा दिनांक 04.04.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से 8,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा दिनांक 05.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य स्वास्थ्य जमादार, नगर निगम उदयपुर द्वारा अपनी मांग अनुसार परिवादी से रिश्वत राशि 8,000/- रूपये विवेकानन्द सामुदायिक भवन, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, उदयपुर पर ग्रहण किये गये, जिस पर आरोपी कमलेश को रंगे हाथों पकडा जाकर रिश्वत राशि 8,000/- रूपये बरामद की गई। जिस पर आरोपीगण श्री कमलेश चनाल एवं श्री अनिल कुमार श्रीमाल को गिरफ्तार किया गया। 10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 8,000/- रूपये रिश्वत राशि 11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) 12. विषय वस्तु प्रथम ईत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे) महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2025 को समय करीब 06.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और उनके समक्ष बैठे परिवादी इस्हाक मोहम्मद का मन् पुलिस निरीक्षक से परिचय करवा कर बताया कि श्री इस्हाक मोहम्मद से नगर निगम उदयपुर के स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा अवैध रिश्वत राशि की मांग की जा रही है जिसके संबंध में लिखित रिपोर्ट लेकर उपस्थित आये हैं जिस पर अग्रिम कार्यवाही की जानी है। परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद की हस्तलिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यालय कक्ष में हमराह लेकर आया। परिवादी इस्हाक मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो रिपोर्ट में अंकित किया कि "में इस्हाक मोहम्मद पुत्र वफाती खान उम्र 38 साल, निवासी 47, खैरादीवाडा, मुखर्जी चैक के पास, उदयपुर का रहने वाला हूं। मैं वर्ष 2018 से नगर निगम उदयपुर में सफाईकर्मी के पद पर होकर सफाई का काम कर रहा हूं। करीब दो-तीन साल से मुझे नगर निगम के सेक्टर नं 9, गोवर्धनविलास स्थित ओफिस में भेजा गया, जहां से हमारी हाजरी भरना, सफाई का काम देना, छुट्टी व अन्य सभी कार्य किये जाते हैं पिछले साल 2024 के जुन महिने में मेरा एक्सीटेन्ड हो गया था। जिससे मेरे बाये हाथ की कलाई पर व शरीर के अन्य हिस्सो पर चोटे आई थी। बाये हाथ की कलाई पर बहुत ज्यादा घाव हो जाने से करीब 12-15 टांके आये थे। मैं

एक्सीडेन्ट होने 5-6 दिन होस्पीटल में भर्ती रहा था व उसके बाद कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद मैं गोवर्धनविलास ओफिस गया। मेरे हाथ में चोट होने से मुझे फावडे से नाली सफाई का कार्य करने में परेशानी होती थी। इसलिये सहुलियत वाले काम के लिये हमारे जमादार अनिल जी से गुजारिस की तो उन्होंने कहा जब तक तुम ठीक नही हो जाते तुम्हे दुसरे आसान काम के लिये लगा देगें एक बार कमलेश जी इन्सपेकटर साहब से बात कर लो तुम्हारा काम हो जायेगा। फिर अनिल जी ने ही मुझे कमलेश जी इन्सपेकटर साहब से गोवर्धनविलास ओफिस में ही मुलाकात करवायी तो कमलेश जी ने मुझे कचरा स्टेण्ड बरकत कोलोनी, सवीना पर निगरानी के लिये लगाया। लगभग दो महिने बाद कमलेश ने मेरा काम निगरानी का लगाने की एवज में अनिल जी के जरिये दो महिने के प्रत्येक महिने के 10,000 रूपये के हिसाब से 20,000 रूपये की मांग की जिस पर मैं कमलेश जी इन्सपेक्टर साहब से मिला तो उन्होने कहा मेने तुम्हारा काम नाला सफाई की जगह निगरानी पर लगाया है तुम्हे दस (10,000) हजार महिने के हिसाब से दो महिने के 20,000 बीस हजार रूपये देने पडेगे। उसके बाद मेने उनको रूपये नही दिये तो मुझे निगरानी से हटाकर सफाई के काम पर लगा दिया, उसके बाद भी मैंने रूपये नही दिये तो कमलेश जी व अनिल जी मुझे बार बार काम के लिये परेशान करने लग गये, मेरे हाथ में चोट होने के बावजूद भी मुझसे हार्ड काम करवाते, ओर कहते काम नही करना तो घर चले जाओ। कमलेश जी मुझे रूपये के लिए बार-बार परेशान कर अपशब्द बोलते रहते है और बिना कारण गैर हाजरी डाल देते है। मै, कमलेश जी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी कमलेश जी इन्सपेक्टर सा0 से कोई दुश्मनी नही है न ही रूपयो की लेन देन है। कानूनी कार्वाही करावें।" उक्त रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर परिवादी को सुनाया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिखित होकर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। श्री इस्हाक मोहम्मद से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि "मैं नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर वर्ष 2018 से कार्य कर रहा हूं। करीब दो-तीन साल से मेरी नगर निगम के सेक्टर नं 09, गोवर्धनविलास स्थित ओफिस से सफाई के काम की ड्यूटी लगती है एवं इसी कार्यालय से मेरी हाजरी, छुट्टी व अन्य ओफिस संबंधी कार्य होते है। मेरी प्रतिदिन दो शिफ्टों में सुबह 06.00 से 10.30 बजे तक एवं दोहपर में 02.00 से 05.00 बजे तक सफाई के काम की ड्यूटी रहती है। हम सुबह 06.00 बजे और दोपहर 02.00 बजे गोवर्धनविलास मैन रोड पर ओडी शोरूम के सामने स्थित नगर निगम के कार्यालय पर जाते हैं, जहां कमलेश जी इन्स्पेक्टर साहब द्वारा हमारी हाजरी लेने के बाद हमारी सफाई की ड्यूटी लगा कर सम्बंधित जमादार के साथ भेज देते हैं। सफाई कार्य के दौरान ही जमादार और कमलेश जी के द्वारा हमारे द्वारा की गई सफाई के कार्य को चैक किया जाता है। कमलेश जी और अनिल जमादार अक्सर साथ में रहते हैं और दोनों सभी वार्ड में साफ-सफाई के कार्य को चैक करने जाते हैं, उन दोनों के अच्छे सम्बंध होने से ही मैने अनिल जी को मेरी परेशानी के बारे में बताया था, तो अनिल जी ने मुझे कमलेश जी से मिलाया और मेरी कमलेश जी से वार्ता करवाई थी।" परिवादी इस्हाक मोहम्मद की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग करने का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध की श्रेणी का पाया जाने से परिवादी इस्हाक मोहम्मद को संदिग्ध आरोपी कमलेश से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही से अवगत करवा वार्ता हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि "कमलेश जी वार्ड में शिफ्ट के दौरान साफ-सफाई के कार्य को चैक करने आते हैं, उसी दौरान उनसे रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधित वार्ता कर सकता हूं।" परिवादी से उनके पहचान सम्बंधित दस्तावेज मांगने पर अपने नगर निगम उदयपुर के पहचान पत्र की छायाप्रति मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत की जिसे संलग्न कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि. 266 को कक्ष में बुलाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय नया रिक्त मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। कानि. श्री दिनेश द्वारा सोनी कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से एवं किंगस्टन कम्पनी का रिक्त मेमोरी कार्ड 32 जीबी बंरग काला मालखाना से श्री सुरेश कुमार सउनि से इन्द्राज सम्बंधित रजिस्टर में करवाकर प्रस्तुत किया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड का अवलोकन किया गया तो मेमोरी कार्ड किंगस्टन कम्पनी का 32 जीबी बंरग काला होकर रिक्त होना पाया गया। परिवादी इस्हाक मोहम्मद और श्री दिनेश कानि. का आपस में परिचय करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर एक-दूसरे के मोबाईल फोन में सुरक्षित करवाये गये। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया। कानि. श्री दिनेश कानि. को कल दिनांक 02.04.2025 को परिवादी की सुबह की शिफ्ट से पहले प्रातः 06.30 एएम पर कार्यालय की अलमारी से उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ले जाकर, परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से सम्पर्क कर संदिग्ध आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर रिकॉर्ड कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये और परिवादी को गोपनियता बरतने व कल दिनांक 02.04.2025 को श्री दिनेश कानि. के सम्पर्क करने के पश्चात् संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने की आवश्यक हिदायत देकर समय करीब 05.10 पी.एम. पर परिवादी को रूकसत किया गया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः कार्यालय हाजा की अलमारी में श्री दिनेश कानि. से सुरक्षित रखवाया गया व श्री दिनेश कानि. को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड कर लेकर आने के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये । तत्पश्चात दिनांक 02.04.2025 को समय करीब 11.30 ए.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दिनेश कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि

"आपके निर्देशानुसार आज दिनांक 02.04.2025 को समय करीब 06.30 ए.एम. पर कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेकर प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना हो परिवादी से सम्पर्क कर सुहालका भवन, सेक्टर 14 के पास पहुंचा। जहां परिवादी ने मुझे बताया कि 'आज मेरी सुहालका भवन के पास ही सफाई की ड्यूटी लगी है, कमलेश जी इन्स्पेक्टर साहब यहां जब मेरे काम को चैक करने आयेंगे तो उस समय उनसे वार्ता हो सकती है, इन्स्पेक्टर साहब अचानक ही चैक करने आते है उनका कोई समय फिक्स नही है।" जिस पर मैंने परिवादी को आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश कर समय करीब 07.53 एएम पर संदिग्ध आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर रिकार्ड कर लेकर आने के लिये परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द किया। परिवादी को उसके सफाई के आंवटित कार्य क्षेत्र की तरफ रवाना कर मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के वापस आने के इन्तजार में मूकीम रहा। तत्पश्चात् समय करीब 8.38 एएम पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि "आज कमलेश जी चैक करने आये लेकिन बिना रूके दुर से ही चले गये, उनसे कोई वार्ता नही हुई है" एवं परिवादी ने बताया कि "मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं कमलेश जी से फोन पर वार्ता कर उनसे मिलकर वार्ता कर सकता हूं," जिस पर परिवादी को शिफ्ट का कार्य खत्म होने के बाद पुनः मेरे पास आने की हिदायत देकर आवंटित कार्य क्षेत्र की तरफ रवाना किया। तत्पश्चात परिवादी समय करीब 10.00 एएम पर मेरे पास आया, उसके बाद संदिग्ध आरोपी कमलेश से सम्पर्क करने हेतु समय करीब 10.13 एएम पर परिवादी के मोबाईल फोन से कमलेश के मोबाईल पर कोल कर परिवादी के फोन का लाउड स्पीकर मोड ओन कर वार्ता करवायी जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकोर्ड की गई तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को गोवर्धनविलास चुंगी नाका के पास मिलने के लिये बुलाया। जिस पर परिवादी को समय करीब 10.15 एएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर उसे देकर चुंगी नाका की तरफ उसके वाहन से रवाना किया। मैं मेरी मोटरसाईकिल से चुंगी नाका गोवर्धनविलास उपस्थिति छुपाये हुए मुकिम रहा। परिवादी करीब आधा घण्टे बाद मेरे पास आया मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर दिया जिसे बन्द कर मैंने मेरे पास सुरक्षित रख लिया। उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि "मेरी कमलेश जी से बात हो गई है उन्होंने मुझे पैसों के लिये कहा कि तुम तुम्हारे हिसाब से दे दो, मेरे द्वारा रूपये कम करने के लिये कहने पर उन्होने मुझे कहा कितने लू बताओ उसके बाद वो वहां से चले गये, मेरे द्वारा उन्हे कोल करने पर उन्होंने मुझे कल बात करने के लिये कहा।" तत्पश्चात वहां से रवाना हो हाजिर कार्यालय आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्ताओं को सुना गया तो कानि श्री दिनेश द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में रिश्वत राशि संबंधी वार्ता स्पष्ट नही होने से कानि श्री दिनेश को परिवादी से सम्पर्क कर पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार कानि को दिनांक 03.04.2025 को सुबह 06.30 एएम पर कार्यालय की अलमारी से उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत देकर कानि से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.04.2025 को समय करीब 10.50 ए.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दिनेश कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार आज दिनांक 03.04.2025 को समय करीब 06.30 ए.एम. पर कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेकर प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना हो परिवादी से सम्पर्क कर इलाहाबाद बैंक गोवर्धनविलास रोड सेक्टर 13 के पास पहुंचा। जहां परिवादी ने मुझे बताया कि "आज मेरी यही पास में ही सफाई की ड्यूटी लगी है, कमलेष जी इन्स्पेक्टर साहब यहां जब मेरे काम को चैक करने आयेंगे तो उस समय उनसे वार्ता हो सकती है" जिस पर मैंने परिवादी को आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश कर समय करीब 07.21 एएम पर संदिग्ध आरोपी कमलेश से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर रिकार्ड कर लेकर आने के लिये परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द किया। परिवादी को उसके सफाई के आंवटित कार्य क्षेत्र की तरफ रवाना कर मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के वापस आने के इन्तजार में मूकीम रहा। तत्पश्चात् समय करीब 09.19 एएम पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि "आज कमलेश जी चैक करने नही आये, आज अनिल जी जमादार काम को चैक करने आये थे लेकिन उनसे रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नही हुई। आज शाम की शिफ्ट में मैं, अनिल जी के चैक करने आने पर उनके साथ में रिशवत राशि संबंधी वार्ता कर सकता हूं एवं परिवादी ने बताया कि मेरे अभी आवश्यक काम से घर जाना है इसलिये मैं आपके साथ एसीबी कार्यालय नहीं आ सकता हूं।" जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत कर कार्यालय हाजिर आया।" मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा वार्ताओ को सुना गया तो कानि श्री दिनेश द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद की दिन की शिफ्ट 02.00 पीएम से पूर्व कार्यालय की अलमारी से उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय

मेमोरी कार्ड के लेकर परिवादी से सम्पर्क कर संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक व अनिल जमादार से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत देकर कानि से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 1.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री दिनेश कुमार कानि को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाकर आवश्यक हिदायत देकर परिवादी से सम्पर्क करने हेतु इलाहाबाद बैंक गोवर्धनविलास की तरफ रवाना किया। तत्पश्चात समय करीब समय 05.15 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दिनेश कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क कर इलाहाबाद बैंक के पास, गोवर्धनविलास रोड पहुंचा। जहां परिवादी उपस्थित मिला, जिसे आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईश कर समय करीब 02.48 पीएम पर संदिग्ध आरोपी कमलेश व अनिल जमादार से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर रिकार्ड कर लेकर आने के लिये परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द किया। परिवादी को उसके सफाई के आंवटित कार्य क्षेत्र गोपाल नगर की तरफ रवाना कर मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के वापस आने के इन्तजार में मूकीम रहा। तत्पश्चात् समय करीब 05.04 पीएम पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत में सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि "सफाई के काम को चैक करने के लिये अनिल जी जमादार साहब आये थे, अनिल जी के साथ मेरी रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हुई है, अनिल जी ने बातचीत में मुझे उनके द्वारा पूर्व में कमलेश जी से मेरी हाजरी के संबंध में बात करवाने की बात कहते हुए कमलेष जी द्वारा मेरी हाजरी की एवज में मांगे जा रहे रूपयों को देकर बात खत्म करने के लिये कहा गया, और यह भी कहा गया कि इस बात को इतना लम्बा समय हो गया है तुम फेस टू फेस बात कर लेना साहब से।" उसके बाद आरोपी श्री कमलेश से परिवादी की रिश्वत राशि की मांग संबंधी वार्ता करवाने के लिये आरोपी की लोकेशन की जानकारी हेतु परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल नम्बर पर कोल किया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी का फोन रिसीव नही किया गया। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया।" मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी व अनिल जमादार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो अनिल जमादार द्वारा परिवादी को संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक को रिश्वत राशि देने हेतु दुष्प्रेरित करने संबंधी वार्ता करना पाया गया एवं उक्त वार्ता से कानि श्री दिनेश द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार कानि को दिनांक 04.04.2025 को सुबह 06.30 एएम पर कार्यालय की अलमारी से उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर रिकॉर्ड कर लाने की हिदायत देकर कानि से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 04.04.2025 को समय करीब 08.45 ए.एम. पर श्री दिनेश कुमार कानि ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को श्री दिनेश कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार आज दिनांक 04.04.2025 को समय करीब 06.30 ए.एम. पर कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेकर प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना हो परिवादी से सम्पर्क कर सेक्टर 14 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी कल्ला जी बावजी के स्थान के पास पहुंचा। जहां परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी ने मुझे बताया कि "आज मेरी यहीं पास में ही सफाई की ड्यूटी लगी है, कमलेश जी इन्स्पेक्टर साहब या अनिल जी जमादार यहां जब मेरे काम को चैक करने आयेंगे तो उस समय उनसे वार्ता हो सकती है" जिस पर मैंने परिवादी को आपके निर्देशानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु आवश्यक हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश कर समय करीब 07.17 एएम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर रिकार्ड कर लेकर आने के लिये परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द किया। परिवादी को उसके सफाई के आंवटित कार्य क्षेत्र की तरफ रवाना कर मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के वापस आने के इन्तजार में मूकीम रहा। तत्पश्चात् समय करीब 07.50 एएम पर परिवादी ने मेरे पास आकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि "आज कमलेश जी इन्स्पेक्टर साहब सफाई के काम को चैक करने आये थे उनसे मेरी रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हो गई है कमलेश जी ने मुझसे दस हजार रूपये की मांग करना स्वीकार करते हुए मेरे द्वारा रियायत करने की कहने पर आठ हजार रूपये लेने के लिये सहमत हुए हैं।" जिस पर परिवादी को ड्यूटी शिफ्ट पूरी होने के बाद एसीबी कार्यालय पर उपस्थित आने एवं गोपनियता की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया।" मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में आज दिनांक को परिवादी व संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से आठ हजार रूपये रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि हुई एवं कानि श्री दिनेश द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। श्री दिनेश कुमार कानि से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुरक्षित अलमारी में रखवाया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद उपस्थित कार्यालय आये। मन्

पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से दिनांक 02.04.2025 को संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 03.04.2025 को संदिग्ध आरोपी श्री अनिल जमादार से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं आज सुबह संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में पूछा गया तो पूर्व में कानि दिनेश द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने से परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि आठ हजार रूपये की व्यवस्था करने एवं गोपनियता की हिदायत देकर रूकसत किया गया। मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान् आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, उदयपुर के नाम तहरीर क्रमांक 731 दिनांक 04.04.2025 जारी कर प्रेषित की गई। कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राज. उदयपुर के पत्रांक 1136 दिनांक 04.04.2025 से श्री देवेन्द्र सिंह गौड, भू-अभिलेख निरीक्षक, मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री अनिल शर्मा वरिष्ठ सहायक, मोबाईल नम्बर [redacted] को स्वतंत्र गवाह मनोनित तहरीर प्राप्त हुई जिसे शामील कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.50 पी.एम. पर परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद उपस्थित कार्यालय आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक को दिये जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि रूपये की व्यवस्था अभी तक नही हुई है रूपये की व्यवस्था कल सुबह तक हो जायेगी। जिस पर परिवादी को सुबह की शिफ्ट के बाद संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित कार्यालय आने एवं गोपनियता की हिदायत देकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.04.2025 को समय 10.00 ए.एम. पर कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राज. उदयपुर के तलबीदा गवाहान उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वंय का परिचय देकर उनका परिचय पूछो तो उन्होने अपना-अपना नाम पता श्री देवेन्द्र सिंह गौड पुत्र स्व. श्री सोहन सिंह गौड, जाति राजपूत, उम्र 44 वर्ष, निवासी 1206, कालकामाता मंदिर, गणेश नगर पायडा, उदयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, आयुक्तालय, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 32 वर्ष, निवासी 64-बी, तेलाकुंआ नगर, तेला कुंआ की ढाणी, जयसिंगपुरा खोर, जिला जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, आयुक्तालय, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। हर दोनों गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की गई। स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र सिंह गौड, भू-अभिलेख निरीक्षक व श्री अनिल शर्मा वरिष्ठ सहायक को की जा रही कार्यवाही से अवगत करा उनका परिचय परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से आपस में करवाया गया तथा परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। उक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय पर उपस्थित श्री दिनेश कानि. से उक्त कार्यवाही से संबंधित डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी से मंगवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री दिनेश ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 02.04.2025, दिनांक 03.04.2025 एवं दिनांक 04.04.2025 को परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग सत्यापन सम्बंधित मुख्य-मुख्य अंश परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद के समक्ष चलाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाये गये तो हर दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षक कमलेश द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि होना एवं जमादार अनिल द्वारा परिवादी को कमलेश द्वारा मांग की गई रिश्वत राशि देने हेतु दुष्प्रेरित करने की पुष्टि होना बताया। तत्पश्चात समय 01.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से संदिग्ध आरोपी श्री कमलेश, स्वास्थ्य निरीक्षक की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये, 16 नोटों के नम्बर को फर्द में अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह गौड द्वारा परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद की तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानि. से कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री राजेश कानि से अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त 8,000/- रूपये के समस्त नोटों के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटों को श्री राजेश कानि से परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री गिरीराज शर्मा उप निरीक्षक से कार्यालय की आलमारी में से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय कक्ष में रखे पानी के कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहिन रहा, जिसे गवाहान, परिवादी एवं उपस्थितिनों को दिखाया गया, तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहिन घोल में श्री राजेश कानि. की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का

रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री राजेश कानि. से बाहर नाली में फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री राजेश कानि. को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखने और ब्यूरो कार्यालय में ही रूकने की आवश्यक हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 01.38 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो के अधिकारी/कर्मचारी का आपस में परिचय करवा कर परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक से लेन देन वार्ता किये जाने वाले स्थान के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धनविलास, नगर निगम, जिला उदयपुर से हमारी 02.00 पीएम पर सफाई का एरिया आंवटित कर ड्यूटी लगाई जायेगी। उस वक्त ड्यूटी लगाने के बाद कार्यालय से सभी ड्यूटी पोईन्ट पर सफाई कार्य के लिये चले जाते है, उन सब के जाने के बाद कमलेश जी इन्स्पेक्टर साहब वहां पर मुझसे लेन देन वार्ता कर सकते हैं। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को उतार कर वापस पहने और दाढी पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करें एवं उक्त ईशारे के बारे में ट्रेप टीम के सदस्यों को अवगत कराया गया एवं परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया को पुनः समझाईश की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री प्रदीप कुमार हैडकानि को निर्देशित कर कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का विडियो-ओडियो रिकाडिंग का कैमरा मंगवाया जाकर उसमें लगे मेमोरी कार्ड के रिक्त होने की पुष्टि की जाकर कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि की बरामदगी एवं जप्ती की ब्यूरो के कैमरे से रिकाडिंग हेतु निर्देशत किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी व श्री दिनेश कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के वाहन ओटो से, श्री गिरीराज शर्मा उनि व श्री संजय कानि को प्राईवेट मोटर साईकिल से, श्री प्रदीप हैडकानि व स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह गौड को प्राईवेट मोटर साईकिल से, श्री चन्द्र कान्त हैडकानि को प्राईवेट वाहन से एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि व स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शर्मा मय ट्रेप बोक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन कार से ब्यूरो कार्यालय से कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धनविलास, नगर निगम, जिला उदयपुर की तरफ रवाना हुए। ब्यूरो कार्यालय से उपरोक्तानुसार रवानाशुदा समय करीब 01.55 पीएम पर कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धनविलास, नगर निगम, जिला उदयपुर के पास पहुंच कर ब्यूरो टीम सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान को उक्त कार्यालय के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम रहने की हिदायत दी गई। श्री दिनेश कुमार कानि को अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के सम्पर्क में रहकर परिवादी की सफाई की ड्यूटी आंवटन के बाद रिश्वत राशि लेन देन वार्ता के लिये डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी के चालू कर देकर वार्ता हेतु रवाना करने एवं मन् पुलिस निरीक्षक को तुरन्त सूचित करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 02.35 पीएम पर श्री दिनेश कुमार कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को कोल कर अवगत कराया की मैंने अभी परिवादी को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर देकर कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक की तरफ रवाना किया है। तत्पश्चात परिवादी के कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11 परिसर के अन्दर जाकर दीवार के पिछे की तरफ एक व्यक्ति से मिला एवं कुछ समय बाद कार्यालय परिसर से बाहर मैन रोड पर आकर संदिग्ध आरोपी कमलेश स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक एवं ब्यूरो टीम सदस्य मय स्वतंत्र गवाहान के तेज-तेज कदमों से चलकर कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक की तरफ जाने लगे तो कार्यालय परिसर में टीम को देखकर उक्त व्यक्ति जिससे परिवादी परिसर के अन्दर जाकर दीवार के पीछे मिला था, तेज-तेज कदमों से परिसर में चल कर पीछे की तरफ जाने लगा। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री गिरीराज शर्मा उनि व श्री संजय कानि द्वारा भागकर उसके हाथों को कलाई से उपर से पकड लिया, मन् पुलिस निरीक्षक एवं अन्य टीम सदस्य उनके पास पहुंचे। श्री गिरीराज शर्मा ने उक्त व्यक्ति का बांया हाथ एवं श्री संजय कानि ने उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ कलाई से उपर

प॰कर रोके रखा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को स्वयं का एवं टीम सदस्यों का परिचय देकर उससे उसका ..रिचय पूछा तो उसने अपना नाम कमलेश चनाल स्वास्थ्य निरीक्षक प्रभारी, सेक्टर नम्बर 09, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक ..क्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, जिला उदयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थितिनि के समक्ष कमलेश चनाल स्वास्थ्य प्रभारी को इस्हाक से लिये गये रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि वो मुझे जान बुझकर देकर गया है, ऐसे ही देकर गया है। उसके बाद रिश्वत राशि कहां है पूछने पर उसने बायीं तरफ की दीवार की तरफ ईशारा कर बताया कि यही रखे। जिस पर आरोपी कमलेश द्वारा बताये गये स्थान पर देखा गया तो वन नाका कार्यालय परिसर की तरफ की दीवार के साईड में व सुखे तिनके के बीच में फंसे हुए कुछ नोट गड्डीनुमा दिखे, जिन्हे मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शर्मा से उठवाकर गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के कुल 16 नोट कुल राशि 8,000/- रूपये होना पाया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शर्मा के पास ही सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से रिश्वत राशि कमलेश स्वास्थ्य प्रभारी को किस संबंध में देने के बारे में रूबरू पूछा तो उसके द्वारा बताया कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी तो हल्का काम देने की एवज में इनके द्वारा मांग करने पर यह रिश्वत राशि दी गई। जिस पर आरोपी को इस संबंध में पूछा गया तो कहने लगा कि मैंने तो नही लिये, जिस पर बरामद हुई राशि बाबत् हवाला दिया तो आरोपी ने पुनः कहा की ये राशि खुद ही देकर गया है। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की ओडियो-विडियो रिकाडिंग ब्यूरो के कैमरे से श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा की गई। आरोपी को यथा स्थिति में कार्यालय स्वास्थ्य प्रभारी के कार्यालय कक्ष में लेकर गये। इसी दौरान एक व्यक्ति कार्यालय स्वास्थ्य प्रभारी के कार्यालय कक्ष की तरफ आया जिसे परिवादी ने देखकर उसका नाम अनिल जमादार होना बताया। जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का एवं ब्यूरो टीम सदस्यों का परिचय देकर परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अनिल श्रीमाल हाल जमादार, सेक्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, जिला उदयपुर होना बताया। श्री दिनेश कुमार कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर बन्द कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वंय के पास सुरक्षित रखा। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री अनिल जमादार से आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से मांग की जाने वाली रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो अनिल जमादार ने बताया कि "करीब आठ-नौ महिने पहले श्री इस्हाक मोहम्मद का एक्सीडेन्ट हो जाने से इन्होंने मुझसे फावडे से नाली सफाई का काम करने में परेशानी होने से सहुलियत वाले काम के लिये मुझसे गुजारिस की तो मेरे द्वारा इस्हाक जी को कमलेश जी से मिलवाया और कमलेश जी द्वारा इस्हाक जी को दो महिने तक फावडे से नाली सफाई के काम पर नहीं लगा कर निगरानी के काम पर लगाने की सहुलियत देकर मदद करने के लिये एक महिने के 10,000 रूपये के हिसाब से 20,000 /- रूपये की मांग की थी जिसके बारे में मेने इस्हाक जी को बताया था। कल दिनांक 03.04.2025 को सफाई चैकिंग के दौरान इशाक जी ने मुझसे इस संबंध में बात की थी तो मैंने उन्हे कहा था की तुम्हारी कमलेश जी ने मदद की थी उसके लिये जो जितने रूपयो की मांग कर रहे है वो देकर बात खत्म कर दो, रूपयो की बात तुम कमलेश जी से फेस टू फेस ही कर लेना मैं इसमें टांग नही डालूंगा, मैंने मेरे लिये इस्हाक जी से रूपयो की मांग नही की जो भी रूपयो की मांग की गई वो कमलेष के लिये ही की थी, मुझसे गलती हो गई माफ कर दो।" तत्पष्चात कमलेश चनाल व अनिल जमादार को श्री गिरीराज शर्मा उनि की निगरानी में स्वास्थ्य प्रभारी के कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री कमलेश स्वास्थ्य प्रभारी के दोनों हाथों का एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री दिनेश कुमार कानि से प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बोक्स को मंगवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि द्वारा ट्रेप बोक्स में रखे साफ प्लास्टिक के दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर कार्यालय स्वास्थ्य प्रभारी के परिसर में रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी को मंगवा कर गिलास को पानी से भरकर उसमें ट्रेप बोक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट की शीशी से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य प्रभारी के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इसी प्रकार आरोपी के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि ने आरोपी के दाहिने हाथ के धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर उन पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित किया तथा आरोपी के बांये हाथ के धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर उन पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के बतायेनुसार आरोपी कमलेश को परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण कर पेन्ट की जेब में रखने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैंने तो वही रखे थे। जिस पर परिवादी को इस संबंध में पूछने पर परिवादी ने बताया की इनके द्वारा लिये गये रूपये पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे थे। उक्त हाथों के धोवन की ओडियो-विडियो रिकाडिंग ब्यूरो के कैमरे से श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा की गई। तत्पश्चात आरोपी कमलेश चनाल स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखने से

उसका धोवन लिया जाना वांछित होने से कार्यालय स्वास्थ्य प्रभारी में उपस्थित कार्मिक श्री विकास से आरोपी के लिये अन्य पेन्ट की व्यवस्था करने हेतु कहा गया। तत्पश्चात श्री चन्द्रकान्त हैडकानि० को धोवन की शीशीयो की निगरानी की हिदायत देकर रिश्वत राशि बरामदगी स्थल वन नाका कार्यालय परिसर की तरफ की दीवार ओर सुखे तिनके का धोवन लिया जाना वांछित होने से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि द्वारा ट्रेप बोक्स में से रखा साफ प्लास्टिक का एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर कार्यालय स्वास्थ्य प्रभारी के परिसर में रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी को मंगवा कर गिलास को पानी से भरकर उसमें ट्रेप बोक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट की शीशी से एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। तत्पष्चात श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार उक्त रंगहीन गोल में एक कपडे की छिन्दी को डूबा कर भिगोया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त छिन्दी को वन नाका कार्यालय परिसर की तरफ की दीवार ओर सुखे तिनके का जिसके मध्य से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान पर रगडकर रंगहीन घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर उन पर मार्क S-1 व S-2 अंकित किया गया। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवन की आडियो-विडियो रिकाडिंग ब्यूरो के कैमरे से की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि, श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री संजय कुमार कानि द्वारा धोवन के घोल की शीशीयों के ढक्कन पर सफेद कपडा लगाकर लेस से बांध कर कपडे पर मार्क अंकित किया। तत्पश्चात आरोपी श्री कमलेश स्वास्थ्य प्रभारी की पहनी हुई पेन्ट ससम्मान उतरवाकर आरोपी के सहकर्मी द्वारा लाये गये लोअर पेन्ट पहनाई गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी की पेन्ट बरंग ग्रे की सामने की दाहिनी जेब जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के बाद रखी थी का धोवन लेने के लिये श्री सुरेश कुमार सउनि द्वारा ट्रेप बोक्स में रखे साफ प्लास्टिक के एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर कार्यालय स्वास्थ्य प्रभारी के परिसर में रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी को मंगवा कर गिलास को पानी से भरकर उसमें सोडियम कार्बोनेट की शीशी से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कमलेश चनाल की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटाकर रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे सभी उपस्थितिनों ने स्वीकार किया। उक्त धोवन के घोल को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को बन्द कर शीशीयों के ढक्कन पर सफेद कपडा लगाकर लेस से बांध कर कपडे पर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि, श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री संजय कानि द्वारा धोवन के घोल की शीशीया को सिलचपडी किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसर स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शर्मा द्वारा उनके पास सुरक्षित रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि के नम्बरो को पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोटो के नम्बर से दोनो गवाहान से उपस्थित सभी के समक्ष मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहू निम्नानुसार होना पाया गया जो निम्नानुसार क्रमश- 1. 500 रूपये का एक नोट नंबर 3ET801984, 2. 500 रूपये का एक नोट नंबर 6DF831412, 3. 500 रूपये का एक नोट नंबर 5BE542983, 4. 500 रूपये का एक नोट नंबर 2FS630832, 5. 500 रूपये का एक नोट नंबर 0TB766472, 6. 500 रूपये का एक नोट नंबर 0AF240607, 7. 500 रूपये का एक नोट नंबर 4FQ718028, 8. 500 रूपये का एक नोट नंबर 6QK078721, 9. 500 रूपये का एक नोट नंबर 3GU485505, 10. 500 रूपये का एक नोट नंबर 5EU572374, 11. 500 रूपये का एक नोट नंबर 7QN931209, 12. 500 रूपये का एक नोट नंबर 8BM145483, 13. 500 रूपये का एक नोट नंबर 3BW425638, 14. 500 रूपये का एक नोट नंबर 7CQ329121, 15. 500 रूपये का एक नोट नंबर 8PB470919, 16. 500 रूपये का एक नोट नंबर 6AP613543 है मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि, श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि व श्री संजय कुमार कानि द्वारा बरामदशुदा रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल राशि 8,000/- रूपये को गुलाबी रंग के फाईल कवर की कटिंग कर रिश्वत राशि को बीच में लगाकर सिलचपडी किया गया। उक्त पेन्ट के धोवन एवं बरामदशुदा नोटों की सिलचपडी की आडियो-विडियो रिकाडिंग ब्यूरो के कैमरे से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा की गई। आरोपी की पेन्ट बरंग ग्रे जिसकी सामने की दाहिनी जेब में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि को ग्रहण कर रखा गया था उसे कमरे में ही सुखाकर जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करा पेन्ट को सफेद कपडे की थैली में रख कर थैली के मुहँ को धागे से सिल कर सिल मोहर किया जाकर मार्क P अंकित कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप भण्डारी हैडकानि द्वारा धोवन के घोल शीशीयों मार्कशुदा एवं बरामदशुदा रिश्वत राशि सिलचपडी शुदा पर चीट चस्पा कर चीट व कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सउनि से धोवन के घोल की सिलचिटशुदा शीशीयों मार्कशुदा कुल आठ शीशीयों, सिलचिटशुदा बरामदशुदा रिश्वत राशि 8,000/- रूपये, सफेद कपडे की थैली में सिलशुदा आरोपी की पेन्ट को सुरक्षित ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। धोवन कार्यवाही में प्रयुक्त पारदर्शी गिलासों, कपडे की छिन्दी को मौके पर ही जरिये श्री संजय सिंह कानि द्वारा जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउ्डर

एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री चन्द्र कान्त हैडकानि द्वारा टंकन कर मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 05.15 पीएम पर परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल नक्षा मौका स्थल मुर्तिब किया जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 06.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपीगण श्री कमलेश व श्री अनिल के समक्ष आरोपी श्री कमलेश चनाल, स्वास्थ्य प्रभारी के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई जिसमें कार्यालय कक्ष की लकडी की अलमारी से वर्ष 2024 व 2025 के उपिस्थित रजिस्टर मिले, जिस पर वर्ष 2025 के उपस्थिति रजिस्टर में अंकित 08 जनवरी से 05 अप्रेल तक की उपस्थिति वाले पृष्ठ कुल तीन की छायाप्रति ली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही की गई। परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद का जून 2024 में एक्सीडेन्ड हुआ था एवं इसके बाद ही दो महिने तक आरोपी कमलेश चनाल स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा परिवादी को नौकरी में रियायत देकर निगरानी ड्यूटी लगाई गई थी, आरोपी कमलेश द्वारा दो महिने तक रियायत पर ड्यूटी लगाने की एवज में ही रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण किये जाने से वर्ष 2024 के उपस्थिति रजिस्टर में अंकित माह जून, जूलाई, अगस्त की हाजरी वाले पृष्ठ पर कार्यालय कक्ष में उपस्थित सफाईकर्मचारी श्री विकास एवं संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 01 से 02 व 06 से 100 तक पृष्ठांकितशुदा है, पृष्ठ संख्या 07 से 19 तक पर वर्ष 2024 के माह की हाजरी अंकित की गई है। वर्ष 2024 व 2025 के उपस्थिति रजिस्टर में परिवादी श्री इस्हाक का नाम 'इशाक मो/ वफाती खां' अंकित होकर उपस्थित का विवरण अंकित है। जिसे शामील कार्यवाही किया गया। फर्द खाना तलाशी स्वास्थ्य प्रभारी कार्यालय कक्ष पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामील कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 06.20 पी.एम. पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ट्रेप बोक्स मय सिलचिटशुदा आर्टिकल्स, लेपटोप, पिन्टर व आवश्यक संसाधन मन् पुलिस निरीक्षक के प्राईवेट वाहन में रखवाये गये तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिटेनशुदा आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य प्रभारी व श्री अनिल श्रीमाल जमादार को सरकारी बोलरो गाडी में मय स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शर्मा व ब्यूरो जाप्ता श्री गिरीराज उ.नि. व श्री सुरेश कुमार सउनि मय चालक के आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो चैकी एस.यू. के लिये रवाना किया, श्री चन्द्रकान्त हैड कानि., श्री प्रदीप भण्डारी हैड कानि. व श्री संजय सिंह के साथ स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह गौड को आवश्यक हिदायत देकर अपने-अपने प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो चौकी एस.यू. के लिये रवाना किया, परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद के साथ श्री दिनेश कानि. को परिवादी के वाहन ओटो से आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो चौकी एस.यू. के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीछे-पीछे विवेकानन्द सामुदायिक भवन, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, उदयपुर से ब्यूरो कार्यालय के लिये प्राईवेट वाहन से रवाना हुए। तत्पश्चात समय करीब 06.45 पी.एम. पर उपरोक्तानुसार रवानाशुदा ब्यूरा जाप्ता अपने-अपने वाहनों से मय डिटेनशुदा आरोपी मय स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो कार्यालय पंहुचे, श्री गिरीराज उ.नि. को आवश्यक हिदायत देकर आरोपीगण श्री कमलेश व श्री अनिल को उनकी निगरानी में कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही जप्त किये गये आर्टिकल्स सिलचिटशुदा बरामद रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000/- रूपये, धोवन के घोल की सीलचिटशुदा शीशियां कुल नग आठ, सीलचिटशुदा आरोपी श्री कमलेश के पेंट को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना कक्ष में सुरक्षित रखने हेतु श्री सुरेश कुमार सउनि को सुरक्षित सम्भलाये गये। तत्पश्चात समय करीब 07.00 पी.एम. पर कानि. श्री दिनेश कुमार द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद एवं आरोपीगण श्री कमलेश चनाल व श्री अनिल श्रीमाल के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटोप से कनेक्ट कर दिनांक 02.04.2025 को समय करीब 10.15 ए.एम. से परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद व आरोपी श्री कमलेश चनाल के मध्य चुंगी नाका गोवर्धन विलास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व मोबाईल वार्ता को चलवाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 08.45 पी.एम. पर कानि. श्री दिनेश कुमार द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद एवं आरोपीगण श्री कमलेश चनाल व श्री अनिल श्रीमाल के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटोप से कनेक्ट करवा दिनांक 03.04.2025 को समय करीब 02.48 पी.एम. से हुई वार्ता में परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद व आरोपी श्री अनिल श्रीमाल के मध्य परिवादी को आवंटित कार्यक्षेत्र गोपाल नगर, गोवर्धन विलास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलवाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 11.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि. श्री दिनेश कुमार द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद एवं आरोपीगण श्री कमलेश चनाल व श्री अनिल श्रीमाल के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटोप से कनेक्ट कर दिनांक 04.04.2025 को समय करीब 07.17 ए.एम. से परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद व आरोपी श्री कमलेश चनाल के मध्य सेक्टर 14 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कल्ला जी बावजी के स्थान के पास हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन

वार्ता को चलवाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 06.04.2025 समय करीब 12.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि. श्री दिनेश कुमार द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद एवं आरोपीगण श्री कमलेश चनाल व श्री अनिल श्रीमाल के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के लेपटोप से कनेक्ट कर दिनांक 05.04.2025 को समय करीब 02.34 पी.एम. से परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद व आरोपी श्री कमलेश चनाल के मध्य विवेकानन्द सामुदायिक भवन, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, उदयपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को चलाकर, हाजिरान को सुनवाई जाकर वार्तानुसार शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग लेन-देन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 01.00 ए.एम. पर पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री कमलेश चनाल पुत्र श्री मीठूलाल चनाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 586, खेमपुरा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य प्रभारी, सेक्टर नम्बर 09, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना की जाकर नियमानुसार किये गये जुर्म से आगाह कर जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 01.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अनिल श्रीमाल पुत्र श्री रामपाल श्रीमाल जाति वाल्मिकी, उम्र 42 वर्ष, निवासी 1182, हिरणमगरी, सेक्टर नम्बर 05, एस.एस. कोचिंग सेंटर के पास, अम्बेडकर कालोनी, उदयपुर हाल जमादार, नगर निगम, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 35 बी.एन.एस.एस., 2023 की पालना की जाकर नियमानुसार किये गये जुर्म से आगाह कर जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगण 1. श्री कमलेश चनाल पुत्र श्री मिठुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 586, शास्त्री नगर, खेमपुरा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार, स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर एवं 2. श्री अनिल कुमार श्रीमाल पुत्र श्री रामपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी 1182, सेक्टर नम्बर 05, अम्बेडकर कोलोनी, एस.एस. कोचिंग सेंटर के पास, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार, स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर को माननीय न्यायाधीश महोदया, सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर क्रमांक 02, उदयपुर के समक्ष उनके निवास स्थान पर मय रिमाण्ड मय पत्रावली के पेश किया गया जहां से आरोपीगण को जे.सी. का आदेश प्राप्त होने से आरोपीगण को केन्द्रिय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद सफाई कर्मचारी, नगर निगम, जिला उदयपुर के जून 2024 में हाथ में चोट लगने पर उसकी स्थिति का फायदा उठाने के इरादे से आरोपीगण श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य जमादार व श्री अनिल श्रीमाल जमादार नगर निगम उदयपुर ने आपस में मिलकर षडयंत्र रचकर परिवादी से अवैध लाभ प्राप्त करने के आपराधिक दुराशय से परिवादी को दो महिने तक फावडे से नाली सफाई के काम पर नहीं लगाकर परिवादी को कचरा स्टेण्ड निगरानी के काम पर लगा कर ड्यूटी में सहुलियत दी गई। जिसके एवज में आरोपी श्री अनिल श्रीमाल जमादार द्वारा आरोपी श्री कमलेश के लिये रिश्वत राशि की मांग करने पर परिवादी ने ब्यूरो में शिकायत प्रस्तुत की। जिस पर मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान दिनांक 03.04.25 को परिवादी द्वारा आरोपी अनिल जमादार से वार्ता कर कहा की कि 'क्या परेशानी पर परेशानी डलवा रहे हो' जिस पर आरोपी अनिल श्रीमाल परिवादी से अलग अलग समय पर कहता है कि "मेरे को क्या पता वो दे, दुआन नकी करो आपका" "मेरी बात सुन, मेरी गलती ये हुई के, मैंने आपकी बात करवायी थी बस ये मेरी गलती हुई थी बस, बाकी उस टाईम जो होता वो हो जाता" "तुम्हारा काम निकाला तो मांग तांग ही हुई ना वो तो, क्यों मांग तांग नी हुई, फ्री के थोडी ना मांग रहे हैं आपसे कोई" जो आरोपी अनिल श्रीमाल स्वास्थ्य जमादार का आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य जमादार के साथ परिवादी के कचरा स्टेण्ड पर निगरानी ड्यूटी के बदले में अवैध लाभ प्राप्त करने के षडयंत्र में शामील होना और परिवादी को आरोपी श्री कमलेश को रिश्वत राशि देने के लिये दुष्प्रेरण की पुष्टि करता हैं। जिसके अनुसरण में आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य जमादार द्वारा दिनांक 04.04.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री इस्हाक मोहम्मद से 8,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा दिनांक 05.04.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री कमलेश चनाल स्वास्थ्य स्वास्थ्य जमादार, नगर निगम उदयपुर द्वारा अपनी मांग अनुसार परिवादी से रिश्वत राशि 8,000/- रूपये विवेकानन्द सामुदायिक भवन, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धन विलास, नगर निगम, उदयपुर पर ग्रहण किये गये, जिस पर आरोपी कमलेश को रंगे हाथों पकडा जाकर रिश्वत राशि 8,000/- रूपये बरामद की गई। आरोपीगण द्वारा अपने पदीय प्रभाव का दुरूपयोग कर आपराधिक दुराशय से षडयंत्र

कर परिवादी से निगरानी ड्यूटी के बदले अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के दुराशय से, रिश्वत राशि देने के लिये आरोपी श्री अनिल श्रीमाल ने परिवादी को षडयंत्र के तहत दुष्प्रेरित किया एवं षडयंत्र के अनुसरण में आरोपी श्री कमलेश चनाल ने परिवादी से रिश्वत राशि मांगकर साशय ग्रहण की है। आरोपीगण श्री कमलेश चनाल पुत्र श्री मिठुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 586, शास्त्री नगर, खेमपुरा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार (स्वास्थ्य प्रभारी), स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया तथा श्री अनिल कुमार श्रीमाल पुत्र श्री रामपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी 1182, सेक्टर नम्बर 05, अम्बेडकर कोलोनी, एस. एस. कोचिंग सेंटर के पास, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार, स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1. श्री कमलेश चनाल पुत्र श्री मिठुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 586, शास्त्री नगर, खेमपुरा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार (स्वास्थ्य प्रभारी), स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर तथा श्री अनिल कुमार श्रीमाल पुत्र श्री रामपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी 1182, सेक्टर नम्बर 05, अम्बेडकर कोलोनी, एस.एस. कोचिंग सेंटर के पास, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार, स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा मे सादर प्रेषित है। भवदीय) लक्ष्मण लाल डांगी(पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर.....................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में आरोपीगण 1. श्री कमलेश चनाल पुत्र श्री मिठुलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 586, शास्त्री नगर, खेमपुरा, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार (स्वास्थ्य प्रभारी), स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर तथा श्री अनिल कुमार श्रीमाल पुत्र श्री रामपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी 1182, सेक्टर नम्बर 05, अम्बेडकर कोलोनी, एस.एस. कोचिंग सेंटर के पास, हिरणमगरी, पुलिस थाना हिरणमगरी, जिला उदयपुर हाल स्वास्थ्य जमादार, स्वास्थ्य शाखा, नगर निगम, उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह चारण, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 132 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 507-10 दिनांक 08.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2. आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट उदयपुर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/04/2025 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	21/02/1976				
2	Male	15/05/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)